न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 2/2024

प्रार्थी–

राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. अशोक कुमार पुत्र देवाराम जाति मेगवाल निवासी शिवकर पुलिस थाना रिको बाड़मेर
2. किशनाराम पुत्र रूपाराम जाति मेगवाल निवासी सरली पुलिस थाना सदर बाड़मेर
3. अशोक कुमार पुत्र दुदाराम जाति जाट निवासी मेंहलू पुलिस थाना गुड़ामालानी
4. श्रवण कुमार पुत्र चूनाराम जाति मेगवाल निवासी मेंहलू पुलिस थाना गुड़ामालानी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955</u>

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश कुमार पुनड़, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से उपस्थित।
3. श्री डुंगरसिंह महेचा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 07.10.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि श्री आनंदसिंह आरपीएस वृताधिकारी वृत बाड़मेर दिनांक 11.6.23 को पुलिस थाना सदर बाड़मेर पहुंचे। जहां पुलिस थाना सदर बाड़मेर में दिनांक 11.6.23 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाड़मेर द्वारा सरहद राणीगाव से एक टैकर नम्बर जीजे 12बीएक्स 0459 जिसके 6 कम्पार्ट अवैध बायोडीजल भरा हुआ थाना परिसर के बाहर सुरक्षित निगरानी में खड़ा करवाया मय चालक अशोक कुमार पुत्र देवाराम जाति मेगवाल निवासी शिवकर थाना रिको बाड़मेर व खलाशी किशनाराम पुत्र रूपाराम मेगवाल निवासी सरली थाना सदर बाड़मेर व श्रवण कुमार पुत्र चुनाराम जाति मेगवाल निवासी मेहलु तथा अशोक कुमार पुत्र दुदाराम जाति जाट निवासी मेहलु थाना गुड़ामालानी, दस्तयाब शुदा हाजर थाना सदर बाड़मेर मिले। जिस पर वृताधिकारी मय मौतबीरान, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाड़मेर की मौजूदगी में पुलिस थाना सदर बाड़मेर के बाहर गेट के पास खड़ा करवाया टैकर नम्बर जीजे 12बीएक्स 0459 जिसकी निगरानी में श्री नरसींगाराम कानि 1652 उपस्थित मिला। उक्त टैंकर की तलासी लेने से पूर्व स्वतन्त्र मौतबीर रखने बाबत राहगीरों व वाहन चालको को कहा गया मगर कोई व्यक्ति कानुनी कार्यवाही में नहीं पड़ने व मौतबीर रहने से इंकार करने पर श्री केशराराम हैडकानि. 670 व दुर्गाराम हैडकानि 1001 को मौतबीर रहने की सहमति प्राप्त की जाकर उक्त दोनो को मौतबीर मामूर कर उक्त टैंकर के चैक किया गया तो वाहन टैंकर के आगे पीछे नम्बर जीजे 12बीएक्स 0459 लिखे हुए [illegible] तथा टैंकर के उपर चढ़कर देखा गया तो छः कम्पार्ट [illegible] बिना सील के लगे हुए पाये गये जिनको मौतबीरान के रूबरू बारी बारी से ढक्कन खोलकर देखा तो प्रत्येक कम्पार्ट में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। कम्पार्ट में

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

भरे पेट्रोलियम एवं उत्पाद तरल पदार्थ को देखने, सूंघने एवं सामान्य ज्ञान के आधार पर बायोडीजल प्रथम दृष्टया भरा हुआ पाया गया। उक्त टैंकर में भरे हुए पैट्रोलियम पदार्थ बायो डीजल का वैध लाईसेंस, एवं ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में अन्य कागजात वाहन चालक अशोक कुमार पुत्र देवाराम जाति मेगवाल निवासी शिवकर थाना रिको बाड़मेर से पुछा गया तो अपने पास कोई प्रकार का लाईसेंस, बिल या ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में अन्य कोई वैद्य दस्तावेज अपने पास होना नही बताया। उक्त टैंकर चालक का कृत्य अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की ब्रिकी/खरीद/भण्डारण पर मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थीगण अशोक कुमार व अन्य के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 38400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) टैंकर नंबर जीजे 12बीएक्स 0459 का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट किया कि उक्त प्रकरण में जब्ती की कार्यवाही के वक्त ड्राईवर द्वारा पुलिस को सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाये थे। अनुसंधान अधिकारी व सायल द्वारा उक्त प्रकरण के अनुसंधान मे वाहन व माल के अवैध परिवहन के संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य व तथ्य इस पत्रावली में पेश नहीं किये है। इसके साथ ही वाहन के चालक अशोक व खलाशी किशनाराम ने दिनांक 09.06.2023 को वाहन में लगे जीपीएस सिस्टम से छेड़छाड़ कर वाहन को निर्धारित रास्ते से अन्य रास्ते पर ले गये, [illegible] कंपनी को होने पर पुलिस थाना डांगीयावास [illegible] संख्या 87/2023 अन्तर्गत धारा 379, 408 [illegible] 10.06.2023 को दर्ज करवाया था। जिसकी जानकारी होने के बाद भी तत्समय वृत्ताधिकारी ने यह प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जबरन गैर सायल को तंग एवं परेशान करने की नियत से दर्ज करवाया है। उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा गैर सायल पर बायोडीजल का अवैध परिवहन करना व उसको बेचने के प्रयास का आरोप अधिरोपित कर झूठा मुकदमा संख्या 189/2023 पुलिस थाना सदर बाड़मेर में दर्ज किया था। जबकि उक्त वाहन में हाडड्रो कार्बन ऑयल का वैध परिवहन ई–वे बिल व जीएसटी इनवोईस के साथ हो रहा था, जिसके संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज अनुसंधान अधिकारी को प्रस्तुत कर दिए गए है तथा परिवहन के उपयोग में हो रहे वाहन टैंकर के सभी कम्पार्टमेंट सीजसुदा थे। साथ ही अधिवक्ता गैर सायलान ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में किसी प्रकार का कोई मुकदमा, प्रकरण अथवा दोषसिद्ध नहीं हुआ है। लिहाजा प्रकरण में वाहन एवं पेट्रोलियम पदार्थ को बरी किया जावे तथा उनके विरूद्ध की गई कानूनी कार्यवाही ड्रॉप कर वाहन टैंकर एवं पेट्रोलियम पदार्थ मुक्त कर वाहन स्वामी को लौटाया जावे।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि श्री आनंदसिंह आरपीएस वृताधिकारी वृत बाड़मेर एवं थानाधिकारी थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाड़मेर द्वारा दिनांक 11.6.23 सरहद राणीगाव से एक टैकर नम्बर जीजे 12बीएक्स 0459 जिसके 6 कम्पार्ट अवैध बायोडीजल भरा हुआ थाना परिसर के बाहर सुरक्षित निगरानी में खड़ा करवाया जिसमें मय चालक अशोक कुमार व अन्य दस्तयाब शुदा हाजर थाना सदर बाड़मेर मिले। जिस पर वृताधिकारी मय मौतबीरान, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाड़मेर की मौजूदगी में पुलिस थाना सदर बाड़मेर के बाहर गेट के पास खड़ा करवाया टैकर नम्बर जीजे 12बीएक्स 0459 जिसकी निगरानी में श्री नरसींगाराम कानि 1652 उपस्थित मिला। उक्त [illegible] तलाशी लेने से पूर्व स्वतन्त्र मौतबीर रखने बाबत राह[illegible] को कहा गया मगर कोई व्यक्ति कानुनी कार्यवाही में नहीं पड़ने के [illegible]तबीर रहने से इंकार करने पर श्री केशराराम हैडकानि. 670 व दुर्गाराम हैडकानि 1001 को मौतबीर रहने

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की सहमति प्राप्त की जाकर उक्त दोनो को मौतबीर मामूर कर उक्त टैंकर के चैक किया गया तो वाहन टैंकर के आगे पीछे नम्बर जीजे 12बीएक्स 0459 लिखे हुए पाये गये तथा टैंकर के उपर चढ़कर देखा गया तो छः कम्पार्ट बने हुए है तथा कम्पार्ट ढक्कन बिना सील के लगे हुए पाये गये जिनको मौतबीरान के रूबरू बारी बारी से ढक्कन खोलकर देखा तो प्रत्येक कम्पार्ट में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। कम्पार्ट में भरे पेट्रोलियम एवं उत्पाद तरल पदार्थ को देखने, सूंघने एवं सामान्य ज्ञान के आधार पर बायोडीजल प्रथम दृष्टया भरा हुआ पाया गया। उक्त टैंकर में भरे हुए पैंट्रोलियम पदार्थ बायो डीजल का वैध लाईसेंस, एवं ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में अन्य कागजात वाहन चालक अशोक कुमार पुत्र देवाराम जाति मेगवाल निवासी शिवकर थाना रिको बाड़मेर से पुछा गया तो अपने पास कोई प्रकार का लाईसेंस, बिल या ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में अन्य कोई वैद्य दस्तावेज अपने पास होना नही बताया। उक्त टैंकर चालक का कृत्य अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की ब्रिकी/खरीद/भण्डारण पर मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थीगण अशोक कुमार व अन्य के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 38400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) टैंकर नंबर जीजे 12बीएक्स 0459 का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें। इसके जवाब में अधिवक्ता गैर सायलान की ओर से प्रकट किया कि अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट किया कि उक्त प्रकरण में जब्ती की कार्यवाही के वक्त ड्राईवर द्वारा पुलिस को सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाये थे। अनुसंधान अधिकारी व सायल द्वारा प्रकरण के अनुसंधान मे वाहन व माल के अवैध परिवहन के संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य व तथ्य इस पत्रावली में पेश नहीं किये है। इसके साथ ही वाहन के चालक अशोक व खलाशी किशनाराम ने दिनांक 09.06.2023 को वाहन में लगे जीपीएस

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सिस्टम से छेड़छाड़ कर वाहन को निर्धारित रास्ते से अन्य रास्ते पर ले गये, जिसकी जानकारी परिवहन कंपनी को होने पर पुलिस थाना डांगीयावास में वाहन चोरी होने का प्रकरण संख्या 87/2023 अन्तर्गत धारा 379, 408 आई. पी.सी. में दिनांक 10.06.2023 को दर्ज करवाया था। उक्त वाहन में हाइड्रो कार्बन ऑयल का वैध परिवहन ई–वे बिल व जीएसटी इनवोईस के साथ हो रहा था, जिसके संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज अनुसंधान अधिकारी को प्रस्तुत कर दिए गए है तथा परिवहन के उपयोग में हो रहे वाहन टैंकर के सभी कम्पार्टमेंट सीजसुदा थे। लिहाजा प्रकरण में वाहन एवं पेट्रोलियम पदार्थ को बरी किया जावे तथा उनके विरूद्ध की गई कानूनी कार्यवाही ड्रॉप कर वाहन टैंकर एवं पेट्रोलियम पदार्थ मुक्त कर वाहन स्वामी को लौटाया जावे। हमने अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायलान के अधिवक्ता एवं प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र द्वारा प्रकट तथ्यों पर अवलोकन किया जिसमें पाया गया कि उक्त प्रकरण में चालक द्वारा वाहन के जीपीएस के साथ छेड़छाड़ कर वाहन को निर्धारित रास्ते से अन्य रास्ते पर ले गये, जिसकी जानकारी परिवहन कंपनी को होने पर पुलिस थाना डांगीयावास में वाहन चोरी होने का प्रकरण संख्या 87/2023 दर्ज करवाया गया। इसके साथ ही वाहन मालिक द्वारा जब्त हाइड्राकार्बन आरव इन्टरनेशनल से क्रय किया गया जिसका बिल प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह परिवाद में उल्लेखित घटना अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत परिवहन लाईसेंस के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों के परे होना प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने कब्जे में रखे गये पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना नहीं पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हो। [illegible] अप्रार्थी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तथा तथ्य [illegible] कराया गया यह प्रकरण काबिल खारिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में सीजशुदा उक्त 38400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) टैंकर नंबर जीजे 12बीएक्स 0459 जो अस्थाई रूप से अप्रार्थीगण को सुपुर्दगी पर दिये गये है के लिये अप्रार्थी की ओर से निष्पादित सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा निरस्त किये जाकर कब्जा सरकार से एतद्द्वारा मुक्त किया जाता है।

5. आदेश आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested